

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2015/माघ 13, 1936

No. 235]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2015 /MAGHA 13, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2014

का.आ. 315(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2876 तारीख 19 नवम्बर, 2010 का आशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन, महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य की सीमा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की उरण-चाकण-शिक्रापूर तक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के लिए उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी श्री संपत डावखर उपजिलाधिकारी, (पूणे विभाग) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्य निष्पादन करने के लिए, प्राधिकृत करती है।

यह अधिसूचना इसे जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आर-31015/6/2014-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

S.O. 315(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in modification of notification of the Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 2876 dated the 19th November, 2010, the Central Government hereby authorizes Shri Sampat Dawkhar, Dy. Collector (Pune Division, Dist. Pune) to perform the functions of the Competent Authority for Uran to Chakan/Shikrapur LPG Pipeline Project in the State of Maharashtra of Hindustan Petroleum Corporation Limited, under the said Act, within the State of Maharashtra.

This notification will be effective from the date of issue.

[F. No. R-31015/6/2014-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

581 GI/2015